मामाडोह अग्निकांड: मंत्री शाह की पहल पर हर परिवार को मिलेगा नया घर

नवभारत न्यूज़

खंडवा। जनप्रतिनिधि केवल विकास कार्यों तक सीमित नहीं होता, बल्कि जनता के सुख-दुख में सहभागी बनकर उनकी समस्याओं का समाधान करना भी उसका दायित्व होता है। मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग के कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक डॉ कुंवर विजय शाह ने इसे एक बार फिर साबित किया।

विकासखंड खालवा के ग्राम मामाडोह में हाल ही में हुई भीषण आग दुर्घटना में 8 आदिवासी परिवारों के मकान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए।

घटना की जानकारी मिलते ही डॉ. विजय शाह तत्काल मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। उनके बीच मंत्री को देखकर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भावुक हो उठे। समाजसेवी एवं प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि मंत्री डॉ शाह ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि शासन हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा है। तत्काल राहत के रूप में प्रत्येक परिवार को 40 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, 1 किलो नमक सहित अन्य राशन सामग्री, कपड़े और बिस्तरों की व्यवस्था कराई गई।

वहीं ग्राम पंचायत द्वारा भोजन की व्यवस्था की जा रही है तथा आर्थिक सहायता के लिए आरबीसी प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं। इस दौरान डॉ विजय शाह ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जिन परिवारों के घर आग में जल गए हैं, उन्हें नया मकान बनाने के लिए प्रति परिवार 1 लाख 20 हजार की सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी पीडित परिवार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, शासन पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ खड़ा है। डॉ विजय शाह ने कहा कि केवल घर ही नहीं, बल्कि इन परिवारों की टूटी उम्मीदों को भी फिर से खड़ा किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर संकट की घड़ी में वे क्षेत्र की जनता के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।

सिलोदा में स्ट्रीट लाइट खरीदी बिलों में बाजार दर से 5 गुना अधिक पेमेंट

सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज

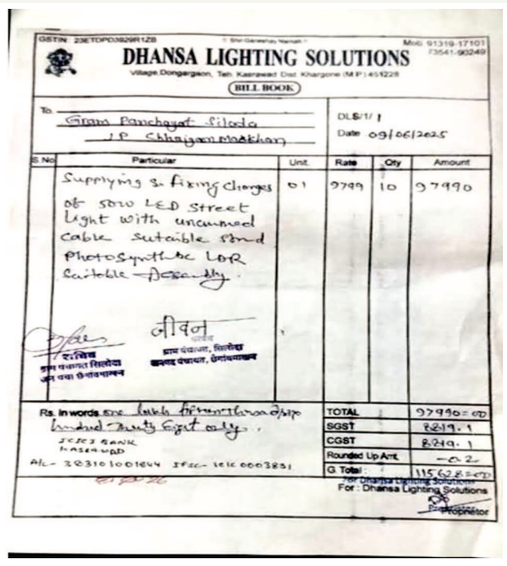

नवभारत न्यूज़

खण्डवा। ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी के दावों को धता बताते हुए खण्डवा जिले के छैगांव माखन ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिलोदा से भ्रष्टाचार का एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पंचायत में सामग्री क्रय और रिपेयरिंग के नाम पर बाजार मूल्य से पाँच गुना अधिक दाम चुकाकर सरकारी खजाने को लूटने का आरोप पंचायत सचिव पर लगा है। आम बाजार में महज 1500 से 2000 रुपये में आसानी से उपलब्ध होने वाली 50 वॉट की एलईडी स्ट्रीट लाइट को पंचायत द्वारा कागजों पर करीब 9799 रुपये की दर से खरीदना दर्शाया गया है।

DHANSA LIGHTING SOLUTIONS

Village Dongargaon, Teh. Kasrawad Dist. Khargone (M.P.) 451228

BILL BOOK

To: Gram Panchayat Siloda J.P. Chhaigaon Makhan

DLS/1/1

Date 09/06/2025

S.No.	Particular	Unit	Rate	Qty	Amount
	Supplying & fixing charges of 50w LED street light with ... cable suitable ... Photosynthetic LDR suitable Assembly.	01	9799	10	97990

TOTAL	97990=00
SGST	8819.1
CGST	8819.1
Rounded Up Amt.	-0.2
G. Total	115628=00

For: Dhansa Lighting Solutions

Proprietor

जानकारी अनुसार इस सुनियोजित वित्तीय घोटाले को लेकर पंच अनिल पटेल पटेल ने सीधे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत क्रमांक 38473139 दर्ज कराते हुए पंचायत राज विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस कथित महाघोटाले की कलई खोलने वाले जो सरकारी दस्तावेज और बिल सामने आए हैं, वे भ्रष्टाचार की इस कड़वी हकीकत पर सीधे मुहर लगाते हैं। पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड किए गए इन बिलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ढांसा लाइटिंग सोल्यूशंस (कसरावद, खरगोन) नामक फर्म द्वारा ग्राम पंचायत सिलोदा को जारी किए गए अलग-अलग बिलों में सरकारी पैसों की खुली बंदरबांट दिखाई देती है। दिनांक 9 जून 2025 को जारी बिल नंबर DLS/1/1 के तहत 50 वॉट की एलईडी स्ट्रीट लाइट (सप्लाइंग और फिक्सिंग चार्ज सहित) प्रति नग 9,799 रुपये की दर से लगाई गई, और ऐसी 10 लाइटों के एवज में टैक्स मिलाकर कुल 1,15,628 रुपये का भारी-भरकम भुगतान कर दिया गया। इसी प्रकार अगले ही दिन यानी 10 जून 2025 को बिल नंबर ष्ठरुस्/1/2 के माध्यम से दोबारा उसी 9,799 रुपये की दर से 10 और लाइटें खरीदना दिखाकर फिर से 1,15,628 रुपये ठिकाने लगा दिए गए। इसी फर्म के एक अन्य बिल (नंबर ष्ठरुस्/1/4) में 5 लाइटों के लिए 9,799 रुपये की दर से 48,995 रुपये का बिल बनाया गया और उसमें अलग से ट्रांसपोर्टिंग, हैंडलिंग व लेबर चार्ज के नाम पर 11,400 रुपये जोड़कर कुल 71,266 रुपये का भुगतान उठा लिया गया।

लूट का यह खेल केवल यहीं नहीं थमा, बल्कि अन्य फर्मों के बिलों में भी दरें देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भीकनगांव की %साधना ट्रेडर्स% द्वारा 4 जुलाई 2024 को जारी बिल नंबर 143 में 50 वॉट की एलईडी लाइट का रेट 4,998 रुपये प्रति नग दर्शाया गया है और मात्र 17 लाइटों की सप्लाई के लिए 84,966 रुपये तथा 2500 रुपये ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जोड़कर कुल 87,466 रुपये पंचायत के खाते से साफ कर दिए गए। वहीं खंडवा की सपना इलेक्ट्रिकल्स द्वारा 23 जनवरी 2026 को जारी बिल नंबर 11542 में भी सामग्री की कीमतों को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। इसके अलावा पंचायत में निर्माण कार्यों के नाम पर भी इसी तरह की वित्तीय अनियमितता की बू आ रही है। छैगांव माखन की सतगुरु ट्रेडर्स के बिल नंबर 436 (दिनांक 4 जून 2025) के मुताबिक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य के नाम पर 269.53 रुपये प्रति बैग की दर से 200 बोरी सीमेंट के लिए टैक्स सहित कुल 69,000 रुपये का भुगतान किया गया, जबकि उसी दिन कार्यालय ग्राम पंचायत सिलोदा के वाउचर नंबर 19 के माध्यम से एक श्रमिक धरमचंद पिता कचरू को सीसी रोड निर्माण कार्य की कुदाली तिहाई के नाम पर 10,500 रुपये नगद भुगताए गए। यहाँ तक कि माँ वैष्णो फोटो कॉपी के एक साधारण कैश मेमो पर बिना किसी स्पष्ट तारीख और विवरण के सीधे 5,000 रुपये का एकमुश्त योग दर्शाकर राशि आहरित कर ली गई।

स्ट्रीट लाइटों और अन्य सामग्रियों के इन बिलों की कुल राशि को यदि जोड़ा जाए तो यह लाखों रुपये के बड़े घोटाले की ओर इशारा करती है, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जो लाइटें बाजार में बेहद कम दामों में मिल जाती हैं, उन्हें सरकारी फाइलों में इतनी ऊंची दरों पर दिखाना और बिना उचित भौतिक सत्यापन के धरातल पर काम का फर्जी मायाजाल बुनना सीधे तौर पर जनता के टैक्स के पैसों का गबन है। मामला सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी वाले पोर्टल पर पहुंचने और दस्तावेजी सबूत सामने आने के बाद अब इसे प्रथम स्तर के शिकायत निवारण अधिकारी को सौंप दिया गया है, जहाँ फिलहाल जांच और प्रगति विवरण अपेक्षित है। अब समूचे क्षेत्र की जनता की नजरें जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं कि बाजार दर से पाँच गुना महंगे बिल लगाकर सरकारी तिजोरी को चूना लगाने वाले पंचायत सचिव, सरपंच और इस नेक्सस में शामिल अन्य दोषियों पर कब तक एफआईआर दर्ज होती है और कब रिकवरी की कार्रवाई शुरू की जाती है।

कटघरे में तकनीकी अमल: उपयंत्री की मूक सहमति के बिना गबन नामुमकिन

ग्राम पंचायत सिलोदा में मचे इस वित्तीय अंधेरगर्दी में जनपद पंचायत के उपयंत्री (सब-इंजीनियर) की भूमिका भी सीधे तौर पर शंका के दायरे में है। पंचायती राज नियमों के अनुसार, किसी भी सामग्री की खरीदी या रिपेयरिंग के बिलों का भुगतान तब तक नहीं हो सकता, जब तक तकनीकी अधिकारी धरातल पर जाकर भौतिक सत्यापन न कर ले और मेजरमेंट बुक (एमबी) में उसे दर्ज न कर दे।

-जब खुले बाजार में महज 1500 से 2000 रुपये में मिलने वाली एलईडी लाइट को ढांसा लाइटिंग सोल्यूशंस द्वारा 9,799 रुपये प्रति नग यानी करीब 10,000 रुपये में बिल किया जा रहा था, तब उपयंत्री की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? लगातार दो दिनों में एक-एक लाख से ऊपर के फर्जी बिल पास हो गए, लेकिन जिम्मेदार तकनीकी अमले ने आपत्ति दर्ज कराने के बजाय हरी झंडी दे दी। इससे साफ है कि या तो दफ्तर में बैठकर बिना फील्ड विजिट के मूल्यांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए गए, या फिर इस पूरे खेल में मौन हिस्सेदारी रही। फिलहाल मामला एल 1 अधिकारी के पास है और ग्रामीणों ने मांग की है कि जांच का दायरा केवल सचिव तक सीमित न रखकर दोषी उपयंत्री पर भी कार्रवाई हो।

कंडम बसों पर ब्रेक लगाने की कवायद तेज, 30 वाहनों पर कार्रवाई, 40 हजार जुर्माना

नवभारत न्यूज़

खंडवा। जिले में जर्जर और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर सड़कों पर दौड़ रही परिवहन बसों पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर 30 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ?40 हजार का जुर्माना वसूला।

पुलिस मुख्यालय भोपाल एवं पुलिस परिवहन शोध संस्थान के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान का नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक यातायात अनिल कुमार राय, एआरटीओ दीपक मांझी और थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक देवेन्द्र सिंह परिहार ने किया। संयुक्त टीम ने शहर में संचालित यात्री बसों की गहन जांच कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जांच के दौरान बसों में अग्निशमन यंत्र, मेडिकल किट, इमरजेंसी विंडो, वैध बीमा, फिटनेस एवं ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरूरी दस्तावेजों की पड़ताल की गई। साथ ही ओवरलोड सवारी, शराब या नशे की हालत में वाहन संचालन तथा यात्रियों के प्रति चालक-परिचालकों के व्यवहार की भी जांच की गई। अभियान में कई बसें निर्धारित सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरीं, जिसके बाद विभाग ने तत्काल चालानी कार्रवाई की। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यात्री सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले बस संचालकों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई को कंडम और लापरवाह बस संचालन पर ब्रेक लगाने की बड़ी कवायद माना जा रहा है। यातायात पुलिस ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में यह अभियान और अधिक सख्ती के साथ जारी रहेगा, ताकि यात्रियों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित परिवहन सुविधा मिल सके।

उद्यानिकी फसलों पर भी अमानक का साया

बागवानी बीजों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, मनमाने दाम वसूल रहे दुकानदार

नवभारत न्यूज़

खंडवा। क्षेत्र में खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही जहां एक ओर मुख्य फसलों के नकली बीजों का खेल जारी है, वहीं उद्यानिकी फसलों को लेकर भी स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग की अनदेखी के चलते इस क्षेत्र में भी किसानों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। कृषि विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत उद्यानिकी विभाग को खुद से अलग तो कर दिया है, लेकिन इसके बाद से इन बागवानी फसलों के बीजों पर सरकारी तंत्र का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका है।

बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे विभिन्न सब्जियों और फलों के इन बीजों की न तो कोई लैब टेस्टिंग होती है और न ही सरकारी स्तर पर इनके अंकुरण की कोई जांच की जाती है। कंपनियां बिना किसी जवाबदेही के अमानक और अप्रमाणित बीज बाजार में खपा रही हैं, जिनकी अंकुरण की कोई गारंटी नहीं होती। कई बार पूरी लागत लगाने के बाद भी खेतों में फसल खराब हो जाती है या पौधों में फल ही नहीं आते, जिससे क्षेत्र के बागवानी किसानों के पास भारी आर्थिक नुकसान झेलकर सिर पीटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। बागवानी क्षेत्र में कंपनियों की यह मनमानी सिर्फ बीजों की खराब गुणवत्ता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन बीजों को उपचारित करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कीटनाशकों में भी भारी लापरवाही बरती जा रही है। बीजों में लगाए जा रहे केमिकल और रसायनों की मात्रा का कोई तय मापदंड या पैमाना नहीं है। कंपनियां अपनी मर्जी से इन घातक रसायनों का उपयोग करने के लिए कहती है, जो सीधे तौर पर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रहा है और साथ ही किसानों व उपभोक्ताओं की सेहत के साथ भी बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। गत वर्ष भी किसान संगठनों ने नकली और अमानक बीजों के इस सिंडिकेट के खिलाफ आवाज उठाई थी और अधिकारियों को सबूत भी सौंपे थे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की रहस्यमयी चुप्पी ने इस साल बीज माफियाओं और इन कंपनियों के हौसले और बुलंद कर दिए हैं। स्थिति यह है कि अब दुकानों के अलावा ग्रामीण इलाकों में दलालों का एक जाल सक्रिय हो चुका है, जो सीधे किसानों के घरों और खेतों तक पहुंचकर बंपर पैदावार का झूठा झांसा दे रहे हैं और उन्हें यह धीमा जहर परोस रहे हैं। यदि कृषि और उद्यानिकी विभाग ने इस सीजन में इन बेलगाम कंपनियों और दलालों पर तत्काल नकेल नहीं कसी, तो भोले-भाले बागवानी किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा।

हनुवंतिया जल महोत्सव में सवा करोड़ का भुगतान अटका

काम करवाने वाले जिम्मेदार अधिकारी अब गायब

नवभारत न्यूज़

बीड़। प्रदेश के चर्चित हनुवंतिया जल महोत्सव में इस बार भुगतान विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। आयोजन में सेवाएं देने वाले 12 से अधिक वेंडर्स ने सवा करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान अटकने का आरोप लगाया है। महीनों से भुगतान नहीं मिलने से छोटे व्यवसायियों और कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वेंडर्स का आरोप है कि महोत्सव के दौरान सुरक्षा, रेस्टोरेंट, सफाई, तकनीकी और अन्य व्यवस्थाओं के लिए उनसे काम कराया गया, लेकिन आयोजन समाप्त होने के बाद भुगतान को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही।

उनका कहना है कि कार्यक्रम के दौरान लगातार आश्वासन दिए गए, मगर अब जिम्मेदार लोग संपर्क से बाहर हैं। पीड़ित वेंडर्स ने पूरे मामले को आर्थिक धोखाधड़ी बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार आयोजन स्थल पर मौजूद अधिकारियों और एजेंसियों के निर्देश पर काम कराया गया था। वेंडर्स ने इजी माय ट्रिप और स्काय क्लीन सॉल्यूशन सहित कुछ जिम्मेदार लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेस्टोरेंट वेंडर सुधीर तिवारी ने आयोजन में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया, जबकि सिक्योरिटी वेंडर राहुल सिंह ने दावा किया कि पर्यटन विभाग द्वारा इजी माय ट्रिप को टेंडर दिए जाने के बाद काम दूसरी एजेंसी को सौंप दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि वे चौकी प्रभारी से लेकर एसपी और कलेक्टर तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भुगतान अटकने से कई व्यवसायियों पर कर्ज बढ़ गया है और रोजमर्रा का संचालन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अव्यवस्थाओं, कम पर्यटक संख्या और भुगतान विवादों ने इस बार हनुवंतिया जल महोत्सव की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है।

नानीबाई रो मायरो कथा में उमड़ी आस्था, भक्ति और विश्वास के संदेश से भावविभोर हुए

खंडवा। श्री गणेश गौशाला में पूर्व निमाड़ सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा आयोजित पांच दिवसीय संगीतमय नानी बाई रो मायरो कथा का समापन भक्ति और श्रद्धा के माहौल में हुआ।

वृंदावन धाम से पधारी कथावाचिका कृष्णप्रिया दीदी महाराज ने अंतिम दिवस भक्त नरसिंह जी के प्रसंग सुनाते हुए श्रद्धालुओं को सेवा, समर्पण और अटूट विश्वास का संदेश दिया। कथा के दौरान पूरा परिसर भक्तिरस में डूबा नजर आया। दीदी श्री ने कहा कि नर्मदाचल संतों की भूमि है और प्रत्येक जीव की सेवा ही सच्चा धर्म है। उन्होंने नर्मदा नदी की स्वच्छता बनाए रखने तथा मिट्टी के गणेशजी स्थापित करने की अपील भी की। दीदी श्री ने भक्त नरसिंह जी की भक्ति का वर्णन करते हुए बताया कि भगवान ने उनकी आस्था से प्रसन्न होकर हर संकट में उनकी सहायता की। उन्होंने कहा कि यदि मन में भय है, तो विश्वास अधूरा है। कथा में नरसिंह जी के संघर्ष, प्रभु कृपा और नानी बाई के मायरे के भावुक प्रसंगों का वर्णन सुन श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। ठाकुर तेरो बस एक भरोसो और मेरे सर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथजैसे भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। कथा के दौरान भगवान द्वारा 56 करोड़ का मायरा लेकर पहुंचने का प्रसंग विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में विधायक कंचन तनवे सहित कई अतिथियों ने व्यासपीठ पूजन किया। महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ कथा का समापन हुआ।

मिट्टी की मूर्तियां बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम

खंडवा। कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देश पर मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से बैंक ऑफ़ इंडिया, स्टार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, खंडवा द्वारा स्वसहायता समूह की महिलाओं एवं सदस्यों को मिट्टी के श्री गणेश जी एवं लक्ष्मी जी की मूर्ति निर्माण संबंधी 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन शनिवार को हुआ। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्रामीण आजीविका मिशन की डीएम स्किल श्रीमती संतोषी मंडलोई एवं श्री धर्मेंद्र भदोरिया ने उपस्थित सभी प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र वितरित किए, और उन्हें स्वसहायता समूह से लोन लेकर मूर्ति निर्माण संबंधी स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया।

अमाखुजरी जंगल में वन विभाग की कार्रवाई

नवभारत न्यूज़

खंडवा। गुड़ी वन परिक्षेत्र के अमाखुजरी जंगल में वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण और कटाई की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया। वन अमला आरोपियों को शासकीय वाहन से गुड़ी रेंज कार्यालय लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ महिलाओं और ग्रामीणों ने वाहन रोककर विरोध जताया। जानकारी के अनुसार सामान्य वन मंडल खंडवा की टीम को जंगल क्षेत्र में अवैध निर्माण और कटाई की सूचना मिली थी।

FOR SALE

इंदोर के रेसकोर्स रोड पे एमएनसी कंपनी के स्वामित्व कि ऑफिस 2 कार पार्किंग के साथ बेचने के लिये उपलब्ध है | इच्छुक खरीददार कृपया संपर्क करे

8329436086

अमृतं तू विद्या

पूनमचंद गुप्ता वोकेशनल महाविद्यालय

कांतिसुर्य टंटया भील विश्वविद्यालय, खरगोन से संबद्धता प्राप्त

- आवेदन आमंत्रित -

दि निमाड़ एजुकेशनल सोसायटी, खण्डवा द्वारा संचालित पूनमचंद गुप्ता वोकेशनल महाविद्यालय हेतु प्राचार्य एवं निम्न विषयों के प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकों एवं समन्वयक के आवेदन आमंत्रित है।

गणित ' प्रबंधन ' अंग्रेजी ' हिन्दी ' वाणिज्य ' भौतिकी ' कम्प्युटर ' रसायन शास्त्र ' वनस्पति शास्त्र ' जीव विज्ञान ' बीज प्रोद्यौगिकी ' हार्टिकल्चर ' समाजशास्त्र ' राजनीति विज्ञान ' अर्थशास्त्र ' योगा ' शिक्षा

योग्यता यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई., एवं म.प्र. शासन (कॉलेज कोड-28). के नियमानुसार, अनुभव संबंधित प्रमाण-पत्रों के साथ विज्ञापन प्रकाशित होने के दस दिवस के अन्दर निम्न लिखित पतें पर आवेदन करें।

अध्यक्ष - पूनमचंद गुप्ता वोकेशनल महाविद्यालय
पो.बा. नं. 33, सिविल लाईन्स, खण्डवा (म.प्र.)
Email-principal.pcgvc@gmai.com

Mob.No- 9826919880 9425085025

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

सेन्ट्रल स्टोर्स विभाग

निविदा क्रमांक: स्टोर्स/12/2026-27

निविदा विज्ञप्ति (द्वितीय आमंत्रण)

दिनांक: 22.05.2026

नगर पालिक निगम इन्दौर को लगने वाली निम्न सामग्री क्रय करने हेतु ऑनलाईन निविदा आयटम रेट पर आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

अ. क्र.	ऑनलाइन टेंडर क्रमांक	सामग्री का विवरण	1) निविदा प्रपत्र की कीमत 2) अर्नेस्ट मनी की रकम	ऑनलाइन निविदा फॉर्म क्रय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	ऑनलाइन तकनीकी निविदा ओपन करने की दिनांक एवं समय
1.	2026_UAD_509920_1	निगम को लगने वाली सफाई सामग्री (सूची अनुसार) प्रदाय बाबद।	1) ₹ 2,000/- 2) ₹ 8,000/-	01/06/2026 को शाम 6.00 बजे तक	02/06/2026 को शाम 6.00 बजे तक पश्चात्

नोट-1. निविदा ई - प्रोक्योरमेंट पद्धति से पोर्टल http://www.mptenders.gov.in पर देखी एवं क्रय की जा सकती है।
2. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर सीधे ऑनलाईन प्रकाशित किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

उपायुक्त
सेन्ट्रल स्टोर्स विभाग, नगर पालिक निगम, इन्दौर

कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

(SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एसबीआईएफसी फाइनेंस लिमिटेड का असाइनमेंट समझौता दिनांक 30.09.2025 के अनुसार असाइनी) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन [अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002)] के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन नियम, 2002) की धारा 13 (12) के साथ पढ़े गए [नियम 3] के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांकित मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया।

उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पढ़े गए सुरक्षा हित के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। (प्रवर्तन नियम, 2002)। उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को इसके द्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिस पर ब्याज भी लगेगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

स. क्र.	ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता/गारंटर का नाम	मांग नोटिस की तिथि और बकाया राशि	दिनांक 13(4) सूचना
1	ऋणकर्ता: महेश शो रिपेयर्स, इसके स्वामी श्री महेश के माध्यम से गारंटर: महेश शो रिपेयर्स, इसके स्वामी श्री महेश के माध्यम से, 1. महेश, 2. टीना। ऋण खाता संख्या: PR00909982	दिनांक 13-10-2025 को देय राशि, 18,14,512.5/- 11-10-2025 तक , साथ ही उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर से 12-09-2025 से लागू होने वाला भविष्य का ब्याज, साथ ही अन्य आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि।	20 मई 2026
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: महेश शो रिपेयर्स के स्वामित्व वाली संपत्ति, जिसके स्वामी श्री महेश हैं: वह अचल संपत्ति का टुकड़ा या भाग, अर्थात मकान संख्या 61, पुराना 143 नया, जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट (37.17 वर्ग मीटर) है, जो पटनीपुरा, मोतीलाल की चाल, इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है (महेश के स्वामित्व में)। उपर्युक्त अचल संपत्ति की सीमाएँ निम्न प्रकार से निर्धारित हैं: पूर्व की ओर सरकारी गली, पश्चिम की ओर सरकारी सड़क, उत्तर की ओर रतनलाल का मकान, दक्षिण की ओर गणेश सोलंकी का मकान।		

ऋणकर्ता/गारंटर को चेतावनी दी जाती है कि वे ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्ति को सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टा, गिरवी, प्रभार या किसी अन्य माध्यम से न बेचें और न ही उसका निपटान करें। यह प्रकाशन ऋणकर्ता, गारंटर और आम जनता की जानकारी के लिए SARFAESI अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुपालन में जारी किया गया है। किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया नीचे दिए गए संपर्क विवरण पर मुझसे संपर्क करें:

दिनांक: 20-05-2026
स्थान: इंदौर

हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी,
अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार)

अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सीआईएन संख्या U74999DL2002PLC117052

(अल्केमिस्ट XLVII ट्रस्ट के न्यासी के रूप में कार्य करते हुए)

ए-270, प्रथम एवं द्वितीय मंजिल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024, भारत। वेबसाइट: www.alchemistarc.com, ईमेल: admin@alchemistarc.com, ashutosh@alchemistarc.com, फोन: 011-46562584